न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/1116/2003/भरतपुर</u>

1– तेजाराम पुत्र रूगनी
2– बुद्धा पुत्र रूगनी
3– रामस्वरूप पुत्र रूगनी
4– कन्हैया पुत्र रूगनी
5– अंगूरी पुत्री रूगनी
6– गंगादेवी पुत्री रूगनी
समस्त जाति नाई निवासी ग्राम पाहुआ तहसील कुम्हैर जिला हनुमानगढ़

–अपीलार्थीगण

–बनाम–

1– गोपी पुत्र नत्थी
2– पूरन पुत्र नत्थी
3– राजो पुत्री नत्थी
4– फूलचन्द पुत्र भावसिंह मृतक जरिये वारिसान–
4/1– ओमवती पत्नि फूलचंद
4/2– हेमचन्द पुत्र फूलचंद
4/3– विरेन्द्र पुत्र फूलचंद
4/4– रेशमादेवी पुत्री फूलचंद
4/5– रेखा पुत्री फूलचंद
5– हुक्मचंद पुत्र भावसिंह
6– कपूरचंद पुत्र भावसिंह
7– त्रिवेनी बैवा भावसिंह (तर्क)
8– शीला पुत्री भावसिंह
9– सवित्री पुत्री भावसिंह
10– यादकौर पुत्री भावसिंह
11– माया पुत्री भावसिंह
12– श्रीचन्द पुत्र प्रभू मृतक जरिये वारिसान–
12/1– डिगम्बर प्रसाद शर्मा पुत्र श्रीचंद
12/2– हरीश चन्द्र शर्मा पुत्र श्रीचंद
12/3– प्रदीप कुमार उर्फ बबलू शर्मा पुत्र श्रीचंद
12/4– रामवती देवी पुत्री श्रीचंद
12/5– राजदुलारी पुत्री श्रीचंद
12/6– रामेश्वरी पुत्री श्रीचंद पत्नि नन्दलाल
12/7– पूनम पुत्री श्रीचंद
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पाहुआ तहसील कुम्हैर जिला भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री राजेश कुमार दडिया, सदस्य

उपस्थित–
श्री जे.के. पारीक, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री सुमित जैन, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

–निर्णय–

दिनांकः– 12–08–2025

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या–451/2001 बउनवान तेजाराम वगै0 बनाम गोपी वगै0 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–02–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, नदबई–ाा मुख्यालय भरतपुर के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम पाहुआ तहसील कुम्हैर स्थित साबिक खसरा नम्बर 292 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 1578 रकबा 0.03 है0 पैमुद हुए है। उक्त भूमि के बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आराजी जैर पूर्वजों के समय से कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रतिवादीगण का आराजी जैर से कोई सरोकार नहीं रहने एवं सहवन से वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर की घोषणा की मांग की गई। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र को खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित 06 तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 19–10–2001 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादीगण/अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–02–2003 से खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3– हमने योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी।

4– अपीलार्थीगण के विद्धान अधिवक्ता ने अपनी बहस में तर्क किया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वज दादा स्व. चन्दन के समय से कब्जे काश्त की भूमि रही है। चन्दन के फौत होने के पश्चात् समस्त आराजीयात् अपीलार्थीगण के पिता रूगनी के नाम बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड हुई तथा रूगनी की मृत्यु के उपरान्त अपीलार्थीगण आराजी जैर के खातेदार दर्ज हुए। संवत् 2000 में आराजी जैर के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के पिता प्रभु का नाम सहवन से अंकित हो गया जोकि संवत् 2014 तक रिकार्ड में अंकित रहा। प्रत्यर्थीगण के पिता का नाम किसी सक्षम आदेश से राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं होकर फर्जकारी करते हुए उनके नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में किए जाने के बावजूद भी इस तथ्य पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई गौर नहीं किया गया। कालांतर में संवत् 2022 में वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया एवं संवत् 2028 की जमाबंदी में पुनः 1/2–1/2 हिस्से के रूप में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया गया। इसके उपरांत राजस्व रिकार्ड में तमाम भूमि प्रतिवादीगण के नाम बिना किसी सक्षम आदेश के दर्ज किए जाने से व्यथित होकर एवं आराजी जैर पर अपने अधिकारों की सुरक्षार्थ वादपत्र पेश करते हुए अपने कथन के समर्थन में राजस्व रिकार्ड यथा जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, ढालबांछ, खेवट खतौनी एवं मौखिक साक्ष्य आदि प्रस्तुत करते हुए वादपत्र को भलीभांति साबित किए जाने के बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं राजस्व अभिलेख के विपरीत जाकर अपीलार्थीगण/वादीगण का वादपत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की गयी है जबकि अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत खेवट खतौनी संवत् 1998 के अनुसार आराजी जैर श्यामलाल कोठारी के नाम दर्ज होते हुए वादीगण के पूर्वज चंदन वल्द परमा कौम नाई सा0देह गैर मौरूसी अंकित है जिससे यह जाहिर है कि आराजी पर वादीगण के पूर्वज बतौर काश्तकार काबिज काश्त रहे है। वादीगण द्वारा आराजी जैर पर अपने अधिकारों को राजस्व रिकार्ड में मौखिक साक्ष्य से साबित करने के बावजूद भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा क्रमशः वादपत्र एवं अपील को खारिज करने में वैधानिक त्रुटि कारित की गयी है।

प्रकरण में उल्लेखनीय यह भी है कि विचारण न्यायालय द्वारा आराजी जैर के राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् 1/2 हिस्से का खातेदार अपीलार्थीगण/वादीगण को मानने के बावजूद भी वादपत्र को विधिविरूद्ध तरीके से खारिज कर दिया गया। प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित तनकीवार निर्णय पर विधि में उपलब्ध प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक तनकी का विवेचन एवं विश्लेषण किए बिना अपील को खारिज करने में विधिक एवं

सैद्धान्तिक भूल कारित की गयी है। प्रकरण में चूंकि यह स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगण का पूर्वजों के समय से बतौर खुदकाश्त कब्जा चला आ रहा है ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में उपलब्ध प्रावधानों की रोशनी में खातेदारी अधिकार स्वमेव प्राप्त करने के अधिकारी रहे है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण/वादीगण आराजी जैर के राजस्व रिकार्ड एवं पूर्वजों के समय से काबिज काश्त होने के आधार पर आराजी जैर के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के मुश्तहक है। अतः अपीलार्थीगण की उक्त द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को अपास्त किए जाकर अपीलार्थीगण/वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जावे।

5– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा वादपत्र पेश किए जाने पर नियमानुसार जवाबदावा पेश करते हुए वादपत्र में अंकित तथ्यों का इंकार किए जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार वादपत्र/जवाबदावा /राजस्व रिकार्ड के अनुसरण में तनकीयात कायम की गयी एवं मौखिक साक्ष्य लिए जाने के उपरान्त तथा न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत होने पर की आराजी जैर के बाबत् अतिरिक्त सेटलमेन्ट अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील स्वीकार होने एवं उक्त आदेश के विरूद्ध सेटलमेन्ट कमीश्नर के यहां प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने एवं उक्त आदेश के विरूद्ध मण्डल में निगरानी पेश किए जाने पर उक्त निगरानी भी दिनांक 17–04–1995 को खारिज की गयी। वादीगण द्वारा उक्त वादपत्र उपरोक्त कार्यवाही के उपरांत पेश किए जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए वादपत्र को राजस्व रिकार्ड यथा संवत् 2012 के इन्द्राज के अनुरूप प्रमाणित होना नहीं मानते हुए एवं मौखिक साक्ष्य में वादी का कब्जा साबित नहीं होने के आधार पर विधिसम्मत तरीके से खारिज किया गया है तथा जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा भी की गयी है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर समवर्ती विधिसम्मत निर्णय पारित किए गए है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत द्वितीय अपील को खारिज किया जावे।

6– विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

7– हस्तगत् प्रकरण में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम पाहुआ तहसील कुम्हैर स्थित साबिक खसरा नम्बर 292 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 1578 रकबा 0.03 है0 भूमि के संबंध में वादपत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि आराजी

जैर पर वादी का संवत् 2000 के पूर्व से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण का नाम गलत रूप से खातेदारी में दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है तथा अपने कथनों के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2012, खसरा गिरदावरियाँ संवत् 2010 ता 2017, ढालबांछ संवत् 2008, खेवट खतौनी संवत् 1998, मिलान क्षेत्रफल व अन्य राजस्व दस्तावेज पेश किये। इसके विपरीत प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश करते हुए वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों के संबंध में ए. एस.ओ का आदेश दिनांक 02–06–1983, भू–प्रबन्ध अधिकारी का निर्णय दिनांक 01–08–1987, भू–प्रबन्ध आयुक्त का निर्णय दिनांक 18–10–1989 व राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय की प्रति के साथ जमाबन्दी संवत 2029–2032 की सत्प प्रतियाँ पेश की गई। विचारण न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र/जवाबदावा एवं राजस्व अभिलेख के अनुसरण में दादरसी सहित कुल छः तनकीयात् कायम की गई। जिसमें तनकी संख्या 1 कायम की गई कि

''आया विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर साबिका 292 जिसके हाल बन्दोबस्ती नम्बर 1578 बने है, ग्राम पाहुआ तहसील कुम्हेर में स्थित है, का वादी संवत् 2012 – हाल काबिज खातेदार काश्तकार है।''

उपरोक्त तनकीयात् को साबित करने का भार वादीगण/अपीलार्थीगण पर था। अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा उक्त तनकीयात् को साबित करने के संबंध में संवत् 2012 की जमाबन्दी बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना जाहिर होता है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तनकीयात् का निर्धारण करते हुए यह अभिलिखित किया गया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2012 प्रदर्श – 1 से वादी का सवंत् 2012 में खातेदार होना प्रमाणित नहीं है। इसी प्रकार आगे अभिलिखित किया गया है कि खसरा गिरदावरी संवत् 2012 से हाल तक भी प्रस्तुत न कर काबिज होना साबित नहीं कराया है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय की उपरोक्त व्याख्या वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबन्दी संवत् 2012 प्रदर्श–1 के अनुसरण में विधि सम्मत् व्याख्या नहीं कही जा सकती, क्योंकि वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2012 के कॉलम संख्या 4 में भूमि अधिकारी विवरण में श्यामलाल कोठारी का नाम अंकित होते हुए कॉलम संख्या 5 नाम कृषक विवरण सहित और कृषि काल में बतौर खुदकाश्त रूगनी हिस्सेदार व प्रभू वल्द रेखाराम कौम ब्राहमण बहिस्सा बराबर साकिन देह गैर मौरूसी अंकित है। उक्त अंकन से यह स्पष्ट जाहिर है कि अपीलाथगण के पूर्वज रूगनी का नाम बतौर खुदकाश्त अंकित रहा है। इसी प्रकार आगामी जमाबन्दी में भी उपरोक्त इन्द्राजात् की पुनरावर्ती किया जाना स्पष्ट है।

8– प्रकरण में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार पर्चा लगान में भी अपीलार्थीगण के पिता रूगनी वल्द चन्दन एवं प्रत्यर्थीगण के पूर्वजों का नाम बतौर खातेदार

अंकित रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थीगण के पूर्वज रूगनी वल्द चन्दन का नाम निरन्तर दर्ज रिकार्ड रहा है। इसी प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी पर्चा लगान की नकल दिनांक 03–01–1987 में भी रूगनी वल्द चन्दन कौमा नाई के नाम का अंकन बतौर खातेदारी अंकित दर्ज रिकार्ड रहा है। उपरोक्त तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन मात्र से प्रथम दृष्टया यह जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपीलार्थीगण के पिता रूगनी का नाम बतौर खुदकाश्त दर्ज रिकार्ड रहा है।

9– इसी क्रम में तनकी संख्या 2 के संबंध में भी यह अभिलिखित किया गया है कि जामबन्दी (ढालबांछ) संवत् 2008 में भी प्रतिवादी के पिता प्रभू का नाम वाद वर्णित आराजी पर काश्तकार की हैसियत से रूगनी वादी के नाम के साथ अंकन होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपीलार्थीगण के पिता रूगनी का नाम प्रतिवादीगण के पिता प्रभू के नाम के साथ निरन्तर दर्ज रिकार्ड रहा है। प्रकरण में सर्वप्रथम अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों के विपरीत जाकर तनकी संख्या 2 निर्धारण किया जाना पाया जाता है।

10– प्रकरण में जहाँ तक अपीलीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त तनकीयात् का निर्धारण किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वयं यह अभिलिखित किया गया है कि ‘‘मुताबिक वादी को खसरा नम्बर 292 की सम्पूर्ण आराजी पर खातेदार साबित करनी थी, परन्तु जो रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है उसमें संवत् 2008 और संवत् 2012–16 तक अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के पिता आधे–आधे के दर्ज है। वादी का सम्पूर्ण रकबे पर अधिकार नहीं बनता है। इस प्रकार प्रकरण में अपीलीय न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड के अनुसरण में वादग्रस्त भूमि के बाबत् 1/2 हक व हिस्से तक अपीलार्थीगण के पिता रूगनी के अधिकारों को व्याख्यित किया गया है।

11– प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा वादपत्र के मद संख्या 10 के माध्यम से अनुतोष के रूप में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 292 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा जिसका हाल बन्दोबस्ती नम्बर 1578 रकबा 30 एयर वाके ग्राम पाहुआ तहसील कुम्हेर के बाबत् प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने की इस्तदुआ की गई है। इस संबंध में न्यायालय का यह अभिमत है कि चूंकि वादग्रस्त भूमि के तमाम राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के पूर्वजों का नाम दर्ज रिकार्ड रहा है तथा कालान्तर में अपीलार्थीगण के पिता का नाम हफज होते हुए वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम किस आधार पर दर्ज रिकार्ड रही है। इस संबंध में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तथ्यों एवं परिस्थितियों के विपरीत जाकर आक्षेपित

निर्णय व डिक्री पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में वादपत्र के अनुसरण में अपीलार्थीगण/वादीगण वादग्रस्त भूमि की सम्पूर्ण खातेदारी प्राप्त करने का मुश्तहक है अथवा नहीं? राजस्व रिकार्ड के अनुसरण में वादीगण/अपीलार्थीगण आराजी जैर के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है अथवा नहीं? आराजी जैर के पश्चात्वर्ती राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थीगण/वादीगण के पिता रूगनी वल्द चन्दन का नाम किस आधार पर विलोपित किया गया है। उपरोक्त तमाम प्रश्नों का निर्धारण हेतु आराजी जैर के राजस्व रिकार्ड के अनुसरण में किये जाने हेतु प्रकरण को पुनः अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते है।

12– परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत् द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर की जाती है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या–451/2001 बउनवान तेजराम वगै0 बनाम गोपी वगै0 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–02–2003 एवं विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई–ाा मु0 भरतपुर द्वारा वाद संख्या– 312/1999 बउनवानी तेजाराम बनाम गोपी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–10–2001 अपास्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णय के मद संख्या 7 से 10 में वर्णित अभिवचनों के अनुसरण में उभय पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष